संदर्भ: आईआरडीएआई/आरईआईएन/जीडीएल/विविध/2/1/2023 जनवरी 3, 2023
Ref: IRDAI/REIN/GDL/MISC/2/1/2023 January 3, 2023

प्रति/To
सभी बीमाकर्ताओं के सीईओ/ The CEOs of All Insurers

विषयः सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को फाइल संदर्भ संख्याओं (एफआरएन) के निर्गम संबंधी दिशानिर्देश
Subject: Guidelines on issuance of File Reference Numbers (FRN) to Cross Border Re-insurers

1. पृष्ठभूमिः
Background:

क. भारतीय बीमा उद्योग वृद्धि के लिए संतुलित स्थिति में है तथा प्राधिकरण संरक्षण के अंतराल को कम करने और बीमा उद्योग का विकास करने के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है। ये कदम व्यवसाय करने की सुगमता की दिशा में हैं तथा ये बीमा उद्योग के आगे और विकास को सुसाध्य बनाने में भी सहायता पहुँचाएँगे।

A. The Indian Insurance Industry is poised for growth and the Authority has been taking various steps to reduce the protection gap and develop the Insurance industry. These steps are towards ease of doing business and would also facilitate further development of the insurance industry.

ख. सुविकसित पुनर्बीमा बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करती है कि बीमा उत्पाद पालिसीधारकों के लिए उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर) बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा सहायता/क्षमता उपलब्ध कराने में पुनर्बीमा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बीमाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीबीआर, अन्य बातों के साथ-साथ, आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के अनुसार रेटिंग की अपेक्षाएँ पूरी करें तथा उनके पास किसी व्यवसाय का स्थानन करने से पहले उनके पास फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) हो। वर्तमान में, ऐसी एफआरएन प्राधिकरण द्वारा वार्षिक आधार पर आबंटित की जाती हैं।

B. The availability of well-developed reinsurance market ensures that insurance products are available at reasonable prices to the policyholders. The Cross Border Re-insurers (CBRs) play a significant role in reinsurance market in providing reinsurance support/capacity to the Insurers. The insurer has to ensure that CBRs meet, interalia, rating requirements as per IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018 and shall have File Reference Number (FRN), before placing any business with them. At present, such FRNs are allotted on annual basis by the Authority.

ग. गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं तथा व्यवसाय करने की सुगमता संबंधी कार्यदल से प्रतिसूचना (फीडबैक) और निविष्टियों पर विचार करने के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि बीमाकर्ता के द्वारा ही स्वतः नवीकरण के संबंध में विचार किया जाए, बशर्ते कि ऐसे सीबीआर इसके बाद विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षित मानदंडों को पूरा करें।

C. After considering the feedback and also inputs from the Task Force on Non-life Insurers and Reinsurers and the Working group on ease of doing business, it has been decided to consider Auto-renewal of FRNs by the

Insurer itself, provided such CBRs meet the required criteria as specified hereafter.

घ. प्राधिकरण आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 4(3) और 12(3) के साथ पठित बीमा अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाता है।

D. The Authority in exercise of the powers conferred under Sec. 34 (1) of the Insurance Act, 1938 read with Reg. 4 (3) and 12 (3) of the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018, makes the following Guidelines.

ङ. इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के संबंध में विनियामक प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना है तथा ये सीबीआर के संबंध में वर्तमान दिशानिर्देश सं. आईआरडीएआई/आर1/जीडीएल/विविध/015/01/2021 दिनांक 22 जनवरी 2021 का अधिक्रमण करते हैं।

E. These Guidelines aim to streamline the regulatory process with respect to cross border reinsurers and will supersede existing Guidelines No. IRDA/R1/GDL/MISC/015/01/2021 dated 22th January, 2021, on CBRs.

2. सीबीआर को एफआरएन का आबंटन
Allotment of FRN to CBRs

क) <u>नई एफआरएन के लिए आवेदन:</u>
A) <u>Application for New FRN:</u>

i. सीबीआर जो वर्तमान विनियमों के अनुसार पात्रता के मानदंड पूरे करते हैं, 'पात्र सीबीआर' के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे। सीबीआर जो पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करते, वे 'अपात्र सीबीआर' के रूप में माने जाएँगे;
The CBRs, who meet the eligibility criteria as per the extant regulations, will qualify as 'Eligible CBRs'. The CBRs, who do not meet the eligibility criteria, are regarded as 'Non-Eligible CBR';

ii. बीमाकर्ता, जो सीबीआर के पास पुनर्बीमा व्यवसाय रखना चाहते हैं, 'पात्र सीबीआर' अथवा 'अपात्र सीबीआर' की श्रेणी के अंतर्गत, जैसी स्थिति हो, सीबीआर को एफआरएन के आबंटन के लिए अनुबंध-1 पर यथाविनिर्दिष्ट फार्म में https://cbr.irdai.gov.in/login.aspx (सीबीआर पोर्टल में) प्राधिकरण के पास एक आनलाइन आवेदन फाइल करेंगे।
The insurers, who wish to place re-insurance business with CBR, shall file an online application with the Authority at https://cbr.irdai.gov.in/login.aspx (CBR Portal) in the form as specified at Annexure – 1, for allotment of FRN to CBRs under the category of either 'Eligible CBR' or 'Non-Eligible CBR', as the case may be;

iii. प्राधिकरण सीबीआर को एफआरएन आबंटित करते समय ऐसे आवेदन के प्रसंस्करण के लिए, यदि आवश्यक हो, तो कोई भी अन्य अपेक्षाएँ उठा सकता है। बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने के बाद प्राधिकरण सीबीआर को प्रणाली के द्वारा उत्पन्न की गई एफआरएन आबंटित करेगा।
The Authority may raise any other requirements, if necessary, for processing of such application while allotting FRN to CBR. After

examination of submissions made by the insurer, the Authority allots system generated FRN to the CBR;

iv. सीबीआर को एफआरएन के आबंटन के लिए आवेदन की फाइलिंग वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुरूप होगी।
Filing of application for allotment of FRN to CBR shall commensurate with Re-insurance programme of the insurer, as per extant regulations.

ख) <u>एफआरएन के नवीकरण के लिए आवेदनः</u>
<u>Application for Renewal of FRN:</u>

बीमाकर्ता उन सीबीआर के लिए जो स्वतः नवीकरण के लिए अर्हता-प्राप्त हैं, स्वयं एफआरएन उत्पन्न कर सकते हैं। सीबीआर जो स्वतः नवीकरण के लिए अर्हता-प्राप्त नहीं हैं, उन्हें वार्षिक आधार पर एफआरएन प्राप्त करना होगा। विस्तृत क्रियाविधि निम्नानुसार है:-
The Insurer can generate FRNs on their own for the CBRs who qualify for Auto- renewal. The CBRs, who do not qualify for Auto-renewal, shall have to obtain FRN on annual basis. The detailed procedure is as under:

i. <u>एफआरएन के 'स्वतः-नवीकरण' के लिए प्रक्रियाः</u>
<u>Process for 'Auto – Renewal' of FRN:</u>

क) किसी सीबीआर के स्वतः-नवीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि-

a) To qualify for Auto-renewal of a CBR, the Insurer shall ensure that –

(i) सीबीआर की क्रेडिट रेटिंग 'स्टैंडर्ड एण्ड पूअर' की ए अथवा उसके समकक्ष से कम नहीं होगी । सीबीआर की नवीनतम क्रेडिट रेटिंग स्वतः-नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से 12 महीने से अधिक पहले की नहीं होनी चाहिए;
Credit rating of the CBR shall not be less than 'Standard & Poor's A- or equivalent. The latest credit rating of the CBR shall not be prior to 12 months from the date of application for Auto-renewal;

(ii) सीबीआर को जिस वर्ष के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा 'पात्र सीबीआर' के अंतर्गत एफआरएन आबंटित की गई है;
CBR has been allotted FRN under 'Eligible CBR' by the Authority in the financial year preceding to the financial year for which application is made;

(iii) आवश्यक और नवीनतम सूचना फाइल की गई है तथा
necessary and latest information is filed and

(iv) ऐसा सीबीआर 'पात्र सीबीआर' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 4(1) के अनुसार अन्य अपेक्षाएँ पूरी करता है।
Such CBR meets the other requirements as per Reg. 4 (1) of IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018 to qualify as 'Eligible CBR'

ख) स्वतः-नवीकरण प्रक्रिया लागू करते समय, यदि आवेदक बीमाकर्ता पाता है कि सीबीआर उपर्युक्त (क) के अनुसार अपेक्षाएँ पूरी नहीं करता, तो वह नवीकरण के लिए आवेदन नीचे पैरा ख(i) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार फाइल करेगा।

b) While doing Auto-renewal process, if the applicant Insurer notices that CBR does not meet the requirements as per (a) above, it shall file the application for renewal as per the process stated in para B(ii) below.

ग) पोर्टल स्वतः-नवीकरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध होगा तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी तीन माह पहले उपलब्ध होगा।

c) The portal would be available for Auto-renewal for the current financial year and would also be available three months in advance for the next financial year.

घ) उक्त स्वतः-नवीकरण की सुविधा एक सीबीआर के लिए तीन निरंतर वित्तिय वर्षों के लिए उपलब्ध है। तीन वित्तीय वर्षों के बाद बीमाकर्ता के द्वारा सीबीआर पोर्टल के माध्यम से नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

d) The auto-renewal facility is available for three consecutive financial years for a CBR. After three financial years, fresh application has to be submitted by the insurer through CBR portal.

ii. <u>ऐसे सीबीआर के लिए एफआरएन के नवीकरण की प्रक्रिया जो स्वतः-नवीकरण के लिए अर्हता-प्राप्त नहीं है:</u>
<u>Process for Renewal of FRN for the CBR, who does not qualify for Auto-renewal:</u>

क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, कोई भी बीमाकर्ता सीबीआर पोर्टल के माध्यम से एफआरएन के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

a) On completion of every financial year, any insurer may make an application for Renewal of FRN through the CBR portal.

ख) प्राधिकरण बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने के बाद प्रणाली द्वारा उत्पन्न की गई एफआरएन आबंटित कर सकता है।

b) The Authority, on examination of submissions made by the insurer, may allot system generated FRN.

ग) ऐसे सीबीआर को आबंटित नवीकृत एफआरएन की विधिमान्यता एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी।

c) The validity of renewed FRN allotted to such CBRs shall be for one financial year.

3. सामान्य उपबंध:
General Provisions:

i. कोई भी बीमाकर्ता ऐसे किसी सीबीआर के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन नहीं करेगा जिसके पास विधिमान्य एफआरएन न हो।
No insurer shall place re-insurance business with any CBR without valid FRN.

ii. प्राधिकरण सीबीआर को देश-वार अलग एफआरएन आबंटित कर सकता है।
The Authority may allot country wise separate FRN to the CBR.

iii. स्वतः-नवीकरण की सुविधा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए और उससे आगे उपलब्ध होगी।
The facility for Auto-renewal would be available for FY 2023-24 and thereafter.

iv. किसी विशिष्ट सीबीआर के लिए जब एक बार एफआरएन आबंटित की जाती है, तो उसका उपयोग अन्य बीमाकर्ता द्वारा ऐसे सीबीआर के पास पुनर्बीमा व्यवसाय के स्थानन के लिए किया जाएगा।
Once FRN is allotted for a particular CBR, the same shall be used by other insurer for placement of reinsurance business with such CBRs.

v. बीमाकर्ता सीबीआर (जिसके पास विधिमान्य एफआरएन हो) के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करते समय इस बात के लिए स्वयं संतुष्ट होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि सीबीआर वर्तमान विनियमों के अनुसार पात्रता की शर्तें पूरी करता है।
The Insurer, while placing reinsurance business with CBR (who has valid FRN), shall satisfy itself and is solely responsible to ensure that the CBR meets the eligible conditions as per the extant regulations.

vi. बीमाकर्ता `अपात्र' सीबीआर के पास किये गये सभी पुनर्बीमा स्थानन निदेशक बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन/अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगा, तथा ऐसे संकल्प की प्रमाणित प्रति पन्द्रह दिन के अंदर प्राधिकरण के पास फाइल करेगा।
The Insurer shall place all the re-insurance business placements made with the 'Non-Eligible' CBRs before its Board of Directors for their approval / ratification, and shall file within fifteen days the certified copy of such resolution with the Authority.

vii. बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से तीस दिन के अंदर यह पुष्टि करते हुए प्राधिकरण को अनुपालन प्रमाणपत्र (अनुबंध-2) प्रस्तुत करेगा कि सभी पुनर्बीमा स्थानन ऐसे सीबीआर के पास किये गये हैं जो पात्रता के मानदंडों का अनुपालन करते हैं अथवा इन दिशानिर्देशों में निर्धारित सीबीआर के पास किये गये हैं। यह प्रमाणपत्र आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 3(3)(क)(ग) के अंतर्गत करने के लिए अपेक्षित प्रस्तुतीकरणों के साथ प्राधिकरण के पास फाइल करना होगा।
The insurer, within thirty days of commencement of the financial year, shall submit a certificate of compliance (Annexure-2) to the Authority confirming that all the re-insurance placements are made with the CBRs who comply with the eligibility criteria or with those CBRs prescribed in these guidelines. This certificate is to be filed with the Authority along with submissions required to be made under Reg. 3 (3) (A) (c) of the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018.

viii. इन दिशानिर्देशों में निहित किसी बात के होते हुए भी, बीमाकर्ता बीमा अधिनियम,1938 और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये अन्य सभी विनियमों का अनुपालन करेगा।
Not with standing anything contained in these guidelines, the insurer shall comply with the Insurance Act,1938 and other applicable regulations issued by the Authority from time to time.

ये दिशानिर्देश इनके निर्गम की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
These Guidelines shall come into force from the date of the issue.

ए. रमण राव

(ए. रमण राव / A Ramana Rao)
मुख्य महाप्रबंधक (पुनर्बीमा) / Chief General Manager (Re-insurance)

अनुबंध-1

सीबीआर के लिए फाइलिंग संदर्भ संख्या के आबंटन के लिए आवेदन

इस आवेदन पर सीबीआर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और बीमाकर्ता के मुख्य अनुपालन अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँगे।

आवेदन किस वित्तीय वर्ष हेतु एफआरएन के आबंटन के लिए है	(उदा. 2022-23 और 2023-24)
आवेदन पात्र सीबीआर अथवा अपात्र सीबीआर हेतु एफआरएन के आबंटन के लिए	पात्र सीबीआर अथवा अपात्र सीबीआर

ब्योरा	**विवरण**
सामान्य सूचना	
सीबीआर का नाम (पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार)	
संस्थापन का स्थान	
संस्थापन की तारीख	(दिन/ माह/ वर्ष)
सीबीआर के पंजीकृत कार्यालय का पता	
पर्यवेक्षी प्राधिकरण का नाम और पता जिनके पास पुनर्बीमा कंपनी पंजीकृत है	
स्वदेशी विनियमनकर्ता के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) की विधिमान्यता	____________ तक विधिमान्य (दिन/माह/वर्ष)
स्वदेशी विनियमनकर्ता अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार किस संबंध में लेनदेन करने के लिए सीबीआर को प्राधिकृत किया गया हैः	प्रत्यक्ष जीवन बीमा; प्रत्यक्ष साधारण बीमा; सम्मिश्र प्रत्यक्ष बीमा (अर्थात् जीवन और साधारण दोनों) अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय (जीवन और साधारण) अथवा प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा व्यवसाय दोनों।
स्वदेशी विनियमनकर्ता अथवा पर्यवेक्षी प्राधिकारी ने विदेशी अधिकार-क्षेत्र से पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया है	हाँ / नहीं
एफआरएन के आबंटन के लिए आवेदन करने वाले सीबीआर के कार्यालय का स्थान	
उस देश का नाम जिसमें उपर्युक्त सीबीआर का मूल निवास-स्थान है	
आवेदक सीबीआर के लिए कर रेज़िडेन्सी	

का देश			
सीबीआर की अंतिम मूल कंपनी का नाम (पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार पूरा नाम दिया जाए)			
सीबीआर की समूह कंपनियों के नाम (पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार पूरे नाम दिये जाएँ)			
ख. सीबीआर की अपेक्षित सूचना देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण			
नाम			
पदनाम			
व्यावसायिक फोन संख्या			
पता			
ई-मेल आईडी			
ग. सीबीआर द्वारा प्रीमियम की प्राप्ति होने पर पुष्टि देने के लिए जिम्मेदार विभागीय व्यक्ति का विवरण			
नाम			
पदनाम			
व्यावसायिक फोन संख्या			
पता			
ई-मेल आईडी			
घ. सीबीआर की वित्तीय स्थिति			
पूँजी का विवरणः			
प्रदत्त पूँजी की राशिः			भारतीय रु.में_______
अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार निर्बंध आरक्षित निधियाँ			भारतीय रु.में_______
मुद्रा का नाम जिसमें पुनर्बीमा व्यवसाय किया जाएगा			भारतीय रु.में परिवर्तन__________
निवल स्वाधिकृत निधियाँ			भारतीय रु.में_______
पिछले 3 वर्षों के लिए स्वदेश के विनियमनकर्ता के अनुसार शोधन-क्षमता अनुपात	विनियामक निर्धारण	सीबीआर का वास्तविक शोधन-क्षमता मार्जिन	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष			

तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष - 1			
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष - 2			
पिछले 3 वर्षों के लिए उपगत दावा अनुपात (आईसीआर)	**पिछला वर्ष (उदा. वर्ष 2021)**	**पिछला वर्ष (-) 1 (उदा. वर्ष 2020)**	**पिछला वर्ष (-) 2 (उदा. वर्ष 2019)**
आईसीआर का विवरण			
पिछले 3 वर्षों के लिए संयुक्त अनुपात	**पिछला वर्ष (उदा. वर्ष 2021)**	**पिछला वर्ष (-) 1 (उदा. वर्ष 2020)**	**पिछला वर्ष (-) 2 (उदा. वर्ष 2019)**
संयुक्त अनुपात का विवरण			
आईआरडीएआई पोर्टल के अनुसार पिछली सीबीआर एफआरएन (यदि कोई हो) का विवरण	**पिछला वि.व.(उदा. वि.व. 2021-22)**	**पिछला वि.व.(-)1 (उदा.वि.व. 2020-21)**	**पिछला वि.वर्ष (-) 2 (उदा. वि.व. 2019-20)**
सीबीआर एफआरएन सं.			
सीबीआर के पास स्थानन किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय का विवरण	स्थानन किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय की राशि (भारतीय रु. लाख में)		
	विकल्पी	**समझौता**	व्यवसाय की व्यवस्थाएँ जिनमें सीबीआर ने सहभागिता की है
पिछला वर्ष (उदा. 2021-22) [वर्ष (2018-19 से आगे) अवरोहण के क्रम में दिया जाए]			
पिछला वर्ष (उदा. 2020-21) [वर्ष (2018-19 से आगे) अवरोहण के क्रम में दिया जाए]			
पिछला वर्ष (उदा. 2019-20) [वर्ष (2018-19 से आगे) अवरोहण के क्रम में दिया जाए]			

भारतीय बीमाकर्ता का(के) नाम जिसके (जिनके) लिए सीबीआर पिछले वित्तीय वर्ष (उदा. 2021-22) के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय में सहभागिता कर रहा है	**भारतीय बीमाकर्ता(ओं) का(के) नाम**		
आवेदक सीबीआर से पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्ति का पुष्टीकरण	**पिछला वि.व. (उदा. 2011-22)**	**पिछला वि.व.(-)1 (उदा.वि.व. 2020-21)**	**पिछला वि.व. (-) 2 (उदा. वि.व. 2019-20)**
आवेदक सीबीआर ने प्रीमियम प्राप्तियों का पुष्टीकरण सभी भारतीय बीमाकर्ताओं को उपलब्ध कराया है	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं	हाँ/ नहीं
सीबीआर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् प्रमाणित फाइल / ई-मेल संलग्न करें।			
यदि उत्तर `नहीं' है, तो इसके लिए कारण सीबीआर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् प्रमाणित रूप में प्रस्तुत करें।			
ङ. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त क्रेडिट रेटिंग			
रेटिंग एजेंसी का नाम			
रेटिंग का वर्ष			
क्रेडिट रेटिंग			
क्या सीबीआर ने जिस वर्ष के लिए व्यवसाय का स्थानन करना है, उसके पूर्ववर्ती वर्ष से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों की अवधि में कम से कम बीबीबी (स्टैंडर्ड एण्ड पूअर के पास) अथवा किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी की समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है? यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रस्तुत की जाए।		(हाँ/नहीं)	

क्या सीबीआर संबंधित स्वदेशी विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित शोधन-क्षमता मार्जिन/पूँजी पर्याप्तता का अनुपालन करता है		(हाँ/नहीं)	
क्या अधिवास (डामिसाइल) के देश ने भारत सरकार के साथ दोहरे कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हैं		(हाँ/नहीं)	
घोषणा व वचनपत्रः मैं / हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि इस आवेदन फार्म में प्रस्तुत सूचना यथार्थ और सही है।			
स्थानः		**हस्ताक्षर**	
दिनांकः	**<u>मुहर</u>**	**नामः**	
		पदनामः	
		[सीबीआर का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]	
यह सिद्ध करते हुए (पुनर)बीमाकर्ता की विशिष्ट सिफारिश कि वे संदर्भित सीबीआर के पास पुनर्बीमा स्थानन क्यों करना चाहेंगे यद्यपि वह निर्धारित पात्रता के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता। (केवल `अपात्र सीबीआर' के लिए)			
इस आवेदन की फाइलिंग आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 5(2)(ख) के अनुपालन में है	(हाँ / नहीं)		
यदि नहीं, तो बीमाकर्ता को इस विषय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा	मुक्त पाठ		
अपात्र सीबीआर के लिए आवेदन के मामले में दस्तावेजी आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं			
स्वदेश के विनियमनकर्ता / पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा सीबीआर को जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति			
यह उचित सिद्ध करते हुए बीमाकर्ता की विशिष्ट सिफारिश की हस्ताक्षरित प्रति कि वे संदर्भित सीबीआर के पास पुनर्बीमा स्थानन करना क्यों चाहेंगे। ऐसी			

<table>
<tr><td>सिफारिश आवश्यक रूप से बीमाकर्ता के पुनर्बीमा विभाग के प्रमुख द्वारा की जाएगी।</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">भारतीय (पुनर)बीमाकर्ता के मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा घोषणा व वचनपत्रः
क. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि करता हूँ/ पुष्टि करते हैं कि सीबीआर के विषय में अपेक्षित समुचित सावधानी बरती गई है तथा संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा सावधानीपूर्वक की गई है।
ख. मैं/हम प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित, सीबीआर के लिए पात्रता के मानदंडों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करता हूँ/ करते हैं।
ग. मैं/हम वचन देता हूँ/ देते हैं कि ऊपर प्रस्तुत समस्त सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
घ. मैं/हम समझता हूँ/ समझते हैं कि यह आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, यदि किसी भी समय यह सिद्ध होता है कि प्रस्तुत की गई सूचना गलत अथवा अयथार्थ है, तो मैं/ हम वर्तमान अधिनियमों, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के उपबंधों के अधीन हूँगा/होंगे।</td></tr>
<tr><td>स्थानः</td><td></td><td>हस्ताक्षर</td><td></td></tr>
<tr><td>दिनांकः</td><td>मुहर</td><td>नामः</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>पदनामः</td><td>मुख्य अनुपालन अधिकारी</td></tr>
</table>

Annexure - 1

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF FILING REFERENCE NUMBER FOR CBR

This application shall be signed by Authorised Signatory of CBR and Chief Compliance Officer of the insurer.

Application for allotment of FRN for FY	(e.g. 2022-23 and 2023-24)
Application for allotment of FRN for Eligible CBR or Non-Eligible CBR	Eligible CBR or Non-Eligible CBR

Particulars	**Details**
A. General Information	
Name of the CBR (as per Certificate of Registration)	
Place of Incorporation	
Date of Incorporation	(dd/mmm/yyyy)
Address of Registered office of the CBR	
Name and address of Supervisory Authority with whom the Reinsurance Company is registered	
Certificate of Registration (COR) validity with home regulator	________________valid up to (dd/mmm/yyyy)
As per registration certificate granted by Home Country Regulator or Supervisory Authority the CBR is Authorised to transact;	Direct Life Insurance; Direct General Insurance; Composite Direct Insurance (i.e. Life & General both) or Re-Insurance Business (Life & General) or Direct and Re-insurance Business both.
Home Country Regulator or Supervisory Authority has authorised to transact Re-insurance business from foreign jurisdiction.	Yes / No.
Place of office of the CBR applying for allotment of FRN	
Name of the Country in which the above CBR is domiciled	
Country of tax residency for the applicant CBR	
Name of ultimate parent Company of CBR (complete name to be given as per certificate of registration)	
Names of Group Companies of CBR (complete names to be given as per certificate of registration)	
B. Details of the person responsible for providing requisite information of CBR	
Name	
Designation	
Business phone number	

<table>
<tr><td>Address</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Email Id</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">C. Details of the department person responsible for providing confirmation on receipt of premium by CBR</td></tr>
<tr><td>Name</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Designation</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Business phone number</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Address</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Email Id</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">D. Financial Position of the CBR</td></tr>
<tr><td>Details of Capital:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Amount of Paid-Up Capital:</td><td colspan="2"></td><td>in INR ___________</td></tr>
<tr><td>Free Reserves as per last audited Balance Sheet</td><td colspan="2"></td><td>in INR ___________</td></tr>
<tr><td>Name of Currency in which re-insurance business will be transacted</td><td colspan="2"></td><td>Conversion to INR _____</td></tr>
<tr><td>Net owned funds</td><td colspan="2"></td><td>in INR ___________</td></tr>
<tr><td>Solvency Ratio as per home country regulator for last 3 years</td><td>Regulatory prescription</td><td>Actual Solvency Margin of the CBR</td><td></td></tr>
<tr><td>Immediately preceding FY</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Immediately preceding FY -1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Immediately preceding FY -2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Incurred Claims Ratio (ICR) for last 3 years</td><td>Last Year (e.g. year 2021)</td><td>Last Year (-) 1 (e.g. year 2020)</td><td>Last Year (-) 2 (e.g. year 2019)</td></tr>
<tr><td>Details of ICR</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Combined Ratio for last 3 years</td><td>Last Year (e.g. year 2021)</td><td>Last Year (-) 1 (e.g. year 2020)</td><td>Last Year (-) 2 (e.g. year 2019)</td></tr>
<tr><td>Details of Combined Ratio</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Details of previous CBR FRN as per IRDAI Portal (if any)</td><td>Last FY (e.g. FY 2021-22)</td><td>Last FY (-) 1 (e.g. FY 2020-21)</td><td>Last FY (-) 2 (e.g. FY 2019-20)</td></tr>
<tr><td>CBR FRN No.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Details of re-insurance business placed with the CBR</td><td colspan="3">Amount (INR in Lakh) of re-insurance business placed</td></tr>
<tr><td></td><td>Facultative</td><td>Treaty</td><td></td></tr>
<tr><td>Last Year (e.g. 2021-22)
[Year (2018-19 onwards) may be given as</td><td></td><td></td><td>Lines of business which the CBR</td></tr>
</table>

drop down]			participated
Last Year (e.g. 2020-21) [Year (2018-19 onwards) may be given as drop down]			
Last Year (e.g. 2019-20) [Year (2018-19 onwards) may be given as drop down]			
Name(s) of Indian insurer for whom CBR is participating in re-insurance business for last FY (e.g. 2021-22)	**Names of Indian insurer**		
Re-insurance premium receipt confirmation from the applicant CBR	**Last FY (e.g. FY 2021-22)**	**Last FY (-) 1 (e.g. FY 2020-21)**	**Last FY (-) 2 (e.g. FY 2019-20)**
The applicant CBR has provided premium confirmation receipts to all Indian insurer	Yes / No	Yes / No	Yes / No
Please attach file / email duly certified by authorized signatory of the CBR			
If the reply is 'No' , Please furnish reasons for the same along with duly certified authorized signatory of the CBR.			
E. Credit rating from international credit rating agencies			
Name of Rating Agency			
Year of Rating			
Credit Rating			
Whether the CBR has over a period of the past three years counting from the year preceding for which the business has to be placed, enjoyed a credit rating of at least BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of any other international rating agency? If no, the credit ratings for past three years be submitted		(Yes/No)	
Whether the CBR complies with the solvency margin/ capital adequacy prescribed by the respective home regulator		(Yes/No)	
Whether the country of domicile has signed a Double Taxation Avoidance Agreement with the Government of India		(Yes/No)	
DECLARATION CUM UNDERTAKING: I / we solemnly declare that the information supplied in this application form is true and correct.			
Place:		**Signature**	

Date:	**Seal**	**Name:**	
		Designation:	
		[Authorised Signatory of CBR]	
Specific recommendation of the (re)insurer justifying as to why they would like to make Reinsurance placements with the referred CBR even though it does not comply with prescribed eligibility criteria. (for 'Non Eligible CBR' only			
The filing of this application is in compliance with Reg. 5 (2) (B) of the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018	(Yes / No)		
If No, the insurer has to submit clarification on the matter	Free text		
The following are the documentary Requirements in case of Application for Non-Eligible CBR			
Copy of registration Certificate issued to CBR by home country regulatory / Supervisory Authority			
Signed copy of specific recommendation of the insurer, justifying as to why they would like to make Reinsurance placements with the referred CBR. Such recommendation shall necessarily be made by the Head of Reinsurance Department of the Insurer.			

DECLARATION CUM UNDERTAKING BY CHIEF COMPLIANCE OFFICER OF INDIAN (RE)INSURER:

a. I / We solemnly confirm that the required due diligence of the CBR has been done and the relevant documents have been scrutinized scrupulously.

b. I/We ensure strict compliance with the eligibility criteria for CBRs, as prescribed by the Authority.

c. I / We undertake that all information furnished above is correct in my/our knowledge and belief.

d. I/ We understand that after submitting this application, if it is proved that the information submitted is wrong or incorrect at any point of time, I / We shall be subjected to the provisions of the extant Acts, Regulations, Guidelines and circulars notified by the Authority from time to time.

Place:		**Signature**	
Date:	**Seal**	**Name:**	
		Designation:	Chief Compliance Officer

अनुबंध / Annexure -2

अनुपालन प्रमाणपत्र
Certificate of Compliance

बीमाकर्ता का नाम / Name of Insurer:

वित्तीय वर्ष / Financial Year:

प्रमाणित किया जाता है कि बीमाकर्ता ने वित्तीय वर्ष ______________ के लिए अपने सभी पुनर्बीमा स्थानन सीबीआर को निम्नलिखित अनुपालनों के साथ किये हैं।

Certified that the Insurer has placed all its reinsurance placements for the Financial year ________ to CBRs

1. वर्तमान विनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रों आदि में निर्धारित रूप में पात्रता की सभी शर्तों का अनुपालन करना।

   Complying with all eligibility conditions as laid down in the extant regulations / Guidelines / Circular etc.

2. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक विधिमान्य फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) धारण करना अथवा

   Holding a valid Filing Reference Number (FRN) as per norms laid down by the Authority or

3. प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित किया गया है।

   Specifically approved by the Authority.

सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ किये गये सभी स्थानन बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

All placements made with Cross Border Reinsurers, have been approved by the Board of the Insurer.

हस्ताक्षर / Signature

स्थान / Place: मुहर नाम/Name:

दिनांक / Date: Seal पदनामः मुख्य अनुपालन अधिकारी

Designation: Chief Compliance Officer